राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर –राज0

पीठासीन अधिकारी : कुलदीप, तहसीलदार

मिसल संख्या : 04/2019

किस्म मुकदमा : राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक : 5/1/2021

तारीख दर्ज : 08.05.2019

राजस्थान सरकार बनाम समाज कल्याण विभाग ग्राम पंचायत पांचवा

–: निर्णय :–

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पांचवा द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि समाज कल्याण विभाग, ग्राम पंचायत पांचवा ने ग्राम पांचवा के खसरा नम्बर 270 कुल रकबा 2.27 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गौचर भूमि में से रकबा 0.0018 हैक्टर पर सम्वत 2075 में अनाधिकृत रूप से पक्का सरकारी भवन बनाकर अतिक्रमण कर लिया है पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु जरिये नोटीस तलब किया गया। नोटिस की प्रति सचिव शीशदान ग्राम पंचायत पांचवा ने प्राप्त की। जो तामील मानकर सामील पत्रावली की गयी। अप्रार्थी अनुपस्थित रहा।

अप्रार्थी अनुपस्थित रहा जिससे उसके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई अप्रार्थी का अनुपस्थित रहना इस बात को जाहिर करता है। कि अप्रार्थी ने जान बूझकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहे है।

अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है अप्रार्थी को ग्राम श्रीनगर के आराजी राज खसरा नम्बर 270 कुल रकबा 2.27 हैक्टर किस्म गै. मु. गौचर भूमि में से रकबा 0.0018 हैक्टेयर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप अप्रार्थी पर लगान 0.01 का पच्चास गुणा से राशि 01/– अक्षरे एक रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को अप्रार्थी को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावें । आरोपित शास्ति की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो। निर्णय आज दिनांक 5/1/2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मॉग कायमी रा.ले.स.-4
कि पृष्ठ संख्या 40
वर्ष 20-21
रा.जुर्माना 01
क.निलामी —
गोचर जुर्माना —
प्रा.पैदावार —
तराले कुचामन सिटी

(कुलदीप)
तहसीलदार,कुचामन सिटी
जिला- नागौर